राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर
Email - rajhealth-supp-rj@gov.in

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा– निर्देश

1. नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राजहैल्थ पॉर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑन लाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के सम्बन्ध में लॉग–इन करना होगा।
2. लॉग–इन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को पॉर्टल पर पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने/शीफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में सम्बन्धित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जायेगी एवं गलत/झूठी सूचना अंकित करने पर सम्बन्धित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में से **नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम 50 एवं टीएसपी एरिया में कम से कम 20 विकल्प भरने अनिवार्य है**। जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑपशन नहीं होगा।
6. पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर कॉउन्सिलिगं के माध्यम से किया जायेगा।
7. **अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है**। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा **अतः अभ्यार्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।** यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रेन्डम आधार आवंटन किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें।
8. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा की वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्तानुसार रिक्तियां भरने के उपरान्त शेष रही रिक्तियों पर रेण्डम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है।
10. विभाग द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है।

निदेशक (अराजपत्रित)

RajKaj Ref
11099673

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.10.13 19:08:06 IST
Reason: Approved